न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—16/2025

सरकार जरिये रामसिंह मीना जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़
—प्रार्थी

बनाम्

श्री वेदप्रकाश पुत्र हेतराम निवासी वार्ड नं.—20, अनूपगढ़।
—अप्रार्थी

परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा—6 ए

—:निर्णयः—

दिनांकः—16.07.2025

यह इस्तगासा **रामसिंह मीना जिला रसद अधिकारी** द्वारा **परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा—6 ए** अन्तर्गत पेश किया जिसमें संक्षेप में वर्णित तथ्य इस प्रकार है—

यह है कि दिनांक—19.09.2024 को **रामसिंह मीना जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़** स्थित फर्म/होटल जम्बेश्वर होटल अम्बेडकर चौक पर पहुँचें। जांच के दौरान फर्म जम्बेश्वर होटल पर श्री वेदप्रकाश पुत्र हेतराम निवासी वार्ड नं.—20, अनूपगढ़ मौके पर उपस्थित मिला तथा स्वयं को दुकान का मालिक बताया। जांच के दौरान अम्बेडकर चौक, अनूपगढ के पास स्थित चाय की दुकान पर **श्री वेदप्रकाश पुत्र हेतराम निवासी वार्ड नं.—20, अनूपगढ़** मौके पर उपस्थित मिला तथा स्वयं को फर्म का मालिक बताया।

श्री वेदप्रकाश की उपस्थिति में जम्बेश्वर होटल अनूपगढ़ की जांच में पाया कि इस प्रतिष्ठान पर चाय नाश्ता बनाने का व्यावसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए जम्बेश्वर होटल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर रखा पाया गया जो कि भारत गैस एजेन्सी का था। श्री वेदप्रकाश ने घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा, प्रतिष्ठाान पर चाय बनाने में व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जाना बताया। श्री वेदप्रकाश द्वारा उक्त 01 सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है, पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा भंडारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री वेदप्रकाश के पास नहीं मिला। फर्म जम्बेश्वर होटल, अम्बेडकर चौक अनूपगढ़ पर पाये गये 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को जरिए फर्द जब्ती किये गये एवं सिद्धी विनायक गैस एजेन्सी अनूपगढ़ के कार्मिक बिल्लू गल्होत्रा पुत्र श्री मुश्ताक राय उम्र 55 जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं.—01 सूरतगढ़ आधार सं.—958926289530 मो.नं. —9610887491 को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द मौका व जब्ती, मौका नजरी नक्शा एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री वेदप्रकाश पुत्र हेतराम वार्ड नं.—20 अनूपगढ़ द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जा रहा था। **श्री वेदप्रकाश पुत्र हेतराम निवासी वार्ड नं.—20, अनूपगढ़** का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश—2000 की धारा 3(1)(ख) (ग),4(1)(क)(ग)(2),6व7(1)(ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से प्राप्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने का आदेश फरमावें।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने जम्बेश्वर होटल बाईपास चौराहा के पास कर रखा है। प्रार्थी अपने होटल में चाय बनाने का काम करता हैं।

प्रार्थी का घरू सिलेण्डर खाली हो गया था जिसको भरवाने के लिए अपने होटल में रखा हुआ था। रसद विभाग द्वारा होटल चैक किया गया तो मेरा खाली सिलेण्डर जब्त करके ले गए। प्रार्थी ने निवेदन भी किया था कि लेकिन रसद विभाग ने घरू सिलेण्डर को व्सावसायिक कार्य का समझ कर जब्त कर लिया। प्रार्थी गरीब आदमी है तथा चाय बनाने के अलावा अन्य कोई कार्य नही है। प्रार्थी अपना दिलवाने का निवेदन किया।

प्रकरण में अप्रार्थी को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि वह केवल चाय बनाने का कार्य करता है। प्रार्थी ने अपने कथनों में यह भी निवेदन किया कि अपनी दैनिक जीवनचर्या को बेमुश्किल निर्वहन कर रहा है, ऐसी स्थिति में यदि सिलेण्डर जब्ती संबंधी कार्यवाही की जाती है तो उसकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ने से परिवार का भरण पोषण कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रार्थी ने क्षमा याचना करते हुए निवेदन किया कि भविष्य में दुकान पर सिलेण्डर रखवाए जाने संबंधी कोई त्रुटि नही करेगा।

अतः प्रार्थी की दशा का देखते हुए उसके कथनों पर विश्वास करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के जब्तशुदा सामान अप्रार्थी को लौटाए जाने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं प्रवर्तन निरीक्षक उपखण्ड कार्यालय अनूपगढ़ को भिजवाते हुए जब्तशुदा सामान अप्रार्थी को 07 दिवस में लौटाया जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवाए जाने हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ